

उपरोक्त सं.

Na

23/8/24

पत्रावली पेश की जायेगी अन्य कार्य से व्यस्त पीठासीन अधिकारी को पेश हो।
दिनांक 23/11/24 को पेश हो।

[Signature]

23/11/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 10/11/24 को पेश हो।

[Signature]
आदेश से रीडर

10/12/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 23/12/24 को पेश हो।

[Signature]
आज्ञा से रीडर

23/12/24 - पत्रावली पेश हुई। वकील-पत्रावली आदि उपरोक्त पत्रावली के लिए दिनांक 20/11/25 को पेश की जायेगी।
[Signature]

20/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील एवं वकील आदि-अनुपस्थित वकील एवं वकील आदि वकील की नियमावली के तहत तीन बार आवेदन लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वकील एवं वकील आदि वकील के बीच में एक बार आवेदन लगावाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वकील एवं वकील आदि के बीच में उपस्थित नहीं आने के कारण वकील द्वारा उपस्थित बाद अनुपस्थित मात्र 188, राजस्थान वास्तविकी आदि नियम की अदम्य लापरवाही अदम्य पैरवी में खारिज किया जाता है। पीठासीन पत्रावली के लिए सुनाया गया। उचित पर्याप्त हो। पत्रावली के लिए सुनाया जायेगा। वकील वकील वकील वकील से कम है।

[Signature]
20/11/25

सहायक जज
भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा


पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भैरू सिंह पुत्र कालू सिंह उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

वादी

1. रूप सिंह पुत्र कालू सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. उदी कंवर पुत्री कालू सिंह पत्नी भंवर सिंह उम्र वयस्क निवासी माताजी का खेड़ा तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. सीता कंवर पुत्री कालू सिंह पत्नी संग्राम सिंह उम्र वयस्क निवासी जादू खेड़ा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. सुन्दर कंवर पत्नी कालू सिंह पत्नी संग्राम सिंह उम्र वयस्क निवासी जादू खेड़ा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. नाहर सिंह पुत्र नाथु सिंह उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. भूर बाई पुत्री प्रताप सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. भंवर सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. राम सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. उदय सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. धापु कंवर पुत्री रणजीत सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. भगवानी कंवर पुत्री रणजीत सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. अर्जुन सिंह पुत्र खेम सिंह, निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. गिरधर सिंह पुत्र खेम सिंह, निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. कमला पुत्री खेम सिंह, निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
15. पार्वती कंवर बेवा खेम सिंह, निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
16. भीम सिंह पुत्र छीतर सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
17. चतर सिंह पुत्र किशोर सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
18. ग्यारसी देवी पत्नी शिव सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
19. रघुवीर सिंह पुत्र मांगु सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
20. लाली पुत्री मांगु निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
21. महावीर सिंह उर्फ रघुवीर सिंह पुत्र मांगु निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
22. गोपाल सिंह पुत्र मुल सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
23. भजन सिंह पुत्र मुल सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
24. सजना पुत्री मुल सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
25. तुलसी पुत्री मुलसिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
26. नाथुसिंह पुत्र भूर सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
27. गोविन्द सिंह पुत्र भूर सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
28. राम सिंह पुत्र सफर सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
29. खेम सिंह पुत्र सफर सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
30. जेरावर सिंह पुत्र सफर सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
31. कैलाश कंवर पुत्री सफर सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
32. सजना बाई बेवा सफर सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
33. ऐजन बाई बेवा सफर सिंह निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
34. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
35. उप पंजीयक, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा


सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिव

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 37/2018 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री ए0 एल0 कुमावत अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 20.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।



(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा